

# हरिजनसेवक

दो आना

( संस्थापक : महात्मा गांधी )  
सम्पादक : भगवनभाऊ प्रभुदास देसाई

भाग १७

अंक ३२

मुद्रक और प्रकाशक  
जीवणजी डाह्याभाऊ देसाई  
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १० अक्टूबर, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६  
विदेशमें रु० ८; शि० १४

## आचार्य कृपलानीसे विनती

आचार्य कृपलानीने दिल्लीसे ता० ३०-९-'५३ को मुझे अेक लम्बा पत्र लिखा है। विसके लिये मैं अुनका आभारी हूँ। अुन्होंने ता० २५-९-'५३ को बम्बाईमें अेक पत्रकार-परिषद्में पारडी सत्याग्रहके बारेमें जो कुछ कहा था, अुसके साररूप वक्तव्यकी अेक नकल भी अपने पत्रके साथ भेजी है और लिखा है कि “सत्याग्रहियोंको दरअसल जो कुछ कहना है, वह विसमें अच्छी तरह आ जाता है।”

विशेष रूपसे वे कहते हैं कि “अुस वक्तव्यमें मैंने अेक बात नहीं कही है। वह यह कि श्री मोरारजीभाऊने घरमपुरमें जमीन देनेकी सूचना की है। मान लीजिये कि वह जमीन काफी अच्छी है। परन्तु मेरा यह कहना है कि तीनेक हजार परिवार पारडीसे अपने घरबार अठाकर दूसरे तालुकेमें जायें, विसके बजाय पारडीके कुछ जमीदार पासके तालुकेमें घासवाली जमीन ले लें यह ज्यादा आसान होगा।”

आचार्य कृपलानीने अपने वक्तव्यमें यह स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है कि खेड सत्याग्रहकी मांग दरअसल क्या है। यह सचमुच आनन्दकी बात है, क्योंकि ऐसा करना बहुत जरूरी था। पत्रकार-परिषद्की रिपोर्ट अखबारोंमें छपें चुकी है, विसलिये मैं अुसे यहां नहीं देता। अुसकी विवादास्पद भाषाको छोड़कर अुसमें कही गवी मूल्य बीत्वें संक्षेपमें नीचे देता हूँ। श्री कृपलानीजी अुसमें कहते हैं कि,

१. ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी किसान खानगी मालिकीके हक पर हमला करना चाहते हैं और जमीनका फिरसे बंटवारा करना चाहते हैं। लेकिन यह बिलकुल गलत है।

२. काश्तकार बितना ही चाहते हैं कि जमीदार घासवाली जमीनका अमुक हिस्सा अनाज पैदा करनेके लिये अलग निकाल दें। काश्तकार सिर्फ ऐसी। अलग निकाली हुयी जमीन पर खेती करनेकी विजाजत ही चाहते हैं। और विसके बदलेमें वे लोग जमीदारोंको पैदावारका जो भाग प्रथाके अनुसार लगानके रूपमें दिया जाता है वह देनेके लिये तैयार हैं। जमीन तो आज जिनके अधिकारमें है, अन्हीं जमीदारोंकी मालिकीकी रहेगी।

३. विसलिये सत्याग्रहियोंकी मांग यह है कि आज लगभग ५० हजार अेकड़ जो घासवाली जमीन है, अुसका दसवां हिस्सा, यानी ५ हजार अेकड़ जमीन अनाजकी खेतीके लिये अलग निकालकर काश्तकारोंको लगान पर अठाऊ जाय। विसमें खानगी मालिकीके हक पर हमला करनेकी कोशी बात ही नहीं है।

४. विस प्रश्नकी जड़में जाय तो पता चलेगा कि नशी आर्थिक व्यवस्थाने विन गांवों पर चढ़ाऊी की, अुसके पहले विन गांवोंकी ज्यादातर जमीन आदिवासियोंकी ही थी। जमीदार तो अुसके बाद पैदा हुये। परन्तु पारडीके आदिवासी अपनी जमीनके

विस मूल हककी मांग नहीं करते। वे जो जमीन अुन्हें मूलतः विरासतमें मिली हुयी थी, अुस पर केवल खेती करनेका ही हक मांगते हैं। और विसके लिये वे जमीदारोंको लगान भी देनेको तैयार हैं।

५. विसके अलावा, खेड सत्याग्रहके नेताओंकी यह भी मांग है कि पारडी विभागके विस संपूर्ण प्रश्नकी जांच करनेके लिये अेक कमीशन नियुक्त किया जाय।

६. ऐसी जांचके बारेमें श्री विनोबा भी सहमत हैं। और अुन्होंने यह भी नहीं कहा कि पारडीका सत्याग्रह भूदानके सिद्धान्तों या कार्यपद्धतिके खिलाफ है।

७. फिर भी भूमिदानन्यजके हिमायती समाजवादी पार्टीके सदस्योंके साथ जमीदारोंसे मिलकर ५ हजार अेकड़ जमीन लगान पर जोतनेके लिये काश्तकारोंको दिला सकते हैं। वक्तव्यके शब्दोंमें कहूँ तो “जहां तक मैं जानता हूँ श्री जयप्रकाश नारायण और दूसरे समाजवादी कार्यकर्ताओंने भूमिदानकी पद्धतिसे ही काम किया है; और मैंने सुना है कि, श्री रविंशंकर महाराजने भी विस समस्याको हल करनेके लिये ऐसा ही प्रयत्न किया, लेकिन अुसका कोशी नहीं निकला।”

८. विसलिये सारी बातोंका निचोड़ निकाला जाय, तो झगड़का मुद्दा बहुत ही छोटा और मामूली-सा रह जाता है। और अगर दोनों तरफ प्रतिष्ठाकी रक्षाका सवाल न पैदा हो, तो यह मामला मैत्रीपूर्ण ढंगसे निबटाया जा सकता है।

विस तरह शोड़में श्री कृपलानीजीके वक्तव्यकी मूल्य बातें ये हैं। विस परसे पाठक देखेंगे कि सारी बातोंका सार विन दो बातोंमें आ जाता है:

१. पांच हजार अेकड़ जमीन अनाजकी खेतीके लिये काश्तकारोंको लगान पर मिले, ऐसा प्रयत्न करना चाहिये।

२. विस सारे प्रश्नकी जांच होनी चाहिये।

अनिमें से जांचकी बात तो ऐसी है कि चाहे तो समाजवादी पार्टी खुद ही जांचका काम अपने हाथमें ले सकती है और अुसकी रिपोर्ट जनता और सरकारके सामने पेश कर सकती है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ऐसी जांच यथासंभव शास्त्रशूद्ध और निष्पक्ष हो, तो जनता अुस पर विश्वास करेगी। लेकिन ऐसी जांच करनी ही हो, तो पहले यह साफ हो जाना चाहिये कि किस बातकी जांच करनी है। क्या विस बातकी जांच करनी है कि पिछले ४-५ सालमें बम्बाईके काश्तकारी कानूनके मुताबिक लोगोंमें क्या काम हुआ और कितनी जमीनोंका कब्जा लिया गया? या आदिवासियोंका जमीन पर जो मूल सालिकी हक कहा जाता है, अुसके बारेमें और वह अनुके हाथसे कैसे निकल गया विसके न्याय-अन्यायके बारेमें जांच करनी है? या अन्य किसी बातकी जांच करनी है? जो कुछ भी हो, जांच-समितिकी मांगके सम्बन्धमें स्पष्ट व्याख्या हों जाना जरूरी है।

लेकिन मुख्य और महत्वकी मांग तो जमीनकी मानी जायगी। भूमिदानके रूपमें या अन्य किसी तरीकेसे पांच हजार बेंकड़ जमीन गरीब आदिवासियोंको दिलवाऊ जाय; और मैं तो इस मांगका सार यह समझता हूं कि प्रजा-समाजवादी पार्टीके कार्यकर्ताओंके साथ मिलकर भूदानके कार्यकर्ता या सरकार यह जमीन आदिवासियोंको जमींदारोंसे दिलवा दें तो भी कोई हर्ज नहीं।

अगर खेड़ सत्याग्रहका हेतु अपरकी बात कहने और लोगों तथा सरकारके सामने अुसे रखनेका ही हो, तो वह हेतु अब पूरा हुआ माना जायगा। मैं मानता हूं कि अ० भा० प्रजा-समाजवादी पार्टीके नेताने अपर जो कहा है, वह बम्बवाईके अनुके सब साथियोंको मंजूर होगा।

अगर ऐसा हो तो कहा जा सकता है कि सारी बातमें दोनों पक्षोंके बीच कोई बड़ा फर्क नहीं रह जाता। पांच हजार बेंकड़ जमीन लगान पर प्राप्त करना हो, तो अुसके लिये काम शुरू हो जाना चाहिये। यानी अुसके लिये भूदान-प्रवृत्ति फिरसे शुरू होनी चाहिये। परन्तु खेड़ सत्याग्रहने पारडी तालुकेमें जो बातावरण पैदा कर दिया है, वह जिस कामके लिये अनुकूल नहीं माना जा सकता। और जैसा कि श्री विनोबाने अपने अेक प्रबन्धनमें हाल ही में कहा है, “पारडीमें भूदान-आन्दोलनसे कुछ लाभ नहीं हुआ, औसा कहना ठीक नहीं है। जयप्रकाशजीके ब्रिकाध प्रवाससे भूदानको प्रगति करनेका पूरा मौका मिला है, औसा नहीं कहा जा सकता।” सरकार भी अपने तरीकेसे जमीन देनेकी तैयारी बता रही है। श्री कृपलानीजी जैसे लोग सरकारसे बात करके यह जान सकते हैं कि सरकारका यह कदम कहां तक जिस समस्याको हल करनेमें सहायक हो सकता है।

यह सब करनेके लिये जरूरत जिस बातकी है कि अब पारडी सत्याग्रहके नेता तुरन्त अुसे समेट लें। जिस प्रश्नके शांतिपूर्ण हलके लिये अुठाया जानेवाला यह पहला कदम होगा। जिसमें प्रजा-समाजवादी पार्टीको अपनी प्रतिष्ठाकी आड़ नहीं लेनी चाहिये। अंगर मैं श्री कृपलानीजीसे विनती कर सकता होऊँ, तो मेरी अुनसे नम्र विनती है कि वे खेड़ सत्याग्रह तुरन्त बन्द कर दें और सरकारके साथ बातचीत शुरू करें। तभी जमींदारोंमें भूदानकी प्रवृत्ति पुनः जारी करनेका अुचित बातावरण पैदा होगा, जिससे प्रजा-समाजवादी पार्टीके और दूसरे भूदानके कार्यकर्ता साथ मिलकर काममें लग सकें।

बैसा हो तो आजकी दुःखद स्थितिसे बाहर निकला जा सकता है और वहां गरीबोंके कल्याणके लिये सब अपने-अपने ढंगसे जो काम करना चाहते हैं, वह फिरसे शुरू हो सकता है। श्री कृपलानीजी अपने पत्रमें मुझे लिखते हैं: “मैं चाहता हूं कि मित्र-गण व्यक्तियों और पार्टीयोंको भूल जायं। क्या हम सब आपसमें मिलकर जिस बातकी सावधानी नहीं रख सकते कि गरीब आदिवासी अन्यायके शिकार न बनें? जिसलिये मैं कांग्रेसके मित्रों और अेक समय जो बापूके साथ काम करते थे, अन सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे भूल जायं — मेरे अतीत और वर्तमानको भूल जायं और जिस सवालके हलका रास्ता खोजें।”

मेरी प्रार्थना है कि श्री कृपलानीजी जिस मामलेको निबटानेका रास्ता खोजनेमें अपूरके ढंगसे सहायता करें। श्री विनोबाने जिस तरहकी सर्वपक्षीय और सर्वग्राह्य भूमिका पर ही अपना भूमिदान-आन्दोलन खड़ा किया है। अुसे फिरसे अुस रास्ते और अुस भूमिका पर के जानेकी मैं श्री कृपलानीजीसे प्रार्थना करता हूं।

३-१०-'५३

(गुजरातीसे)

मगनभाभी देसाभी

## भूदान-यज्ञ क्यों और कैसे?

[मध्यप्रदेश सरकारने अपने राज्यमें भूदान-यज्ञ कार्यमें मदद देनेके लिये बाकायदा अेक बोर्ड बनाया है। अिस बोर्डको शुरू करनेके अवसर पर अुसके अध्यक्ष श्री श्रीकृष्णदास जाजूने जो व्याख्यान दिया अुससे नीचेका हिस्सा लिया गया है। भूदान-प्रवृत्तिमें काम, करनेवाले तथा अन्य लोगोंको वह मददरूप होगा जैसी आशा है।]

—२-१०-'५३

राजनीतिक स्वराज्य मिल जानेके बाद आम जनताको आर्थिक और सामाजिक स्वातंत्र्य मिलनेका प्रश्न देशके सामने जोरोंसे आया। राजनीतिक क्षेत्रमें हरबेक वयस्कको समान ‘बोट’ देनेका अधिकार प्राप्त होने व अमलमें आने पर आज जो चारों ओर आर्थिक और सामाजिक विषमता चल रही है वह सहन होना संभव नहीं रहा। सदियोंसे गरीबोंका शोषण हो रहा है और भारतके दारिद्र्यने अेक कहावतका रूप धारण कर लिया है। स्वराज्य मिलनेके बाद ६ वर्ष बीत जाने पर भी अुसकी रोशनी गरीबकी झोपड़ीमें नहीं पहुंच पाई है। अिस दशामें भारतकी आर्थिक समस्या हल करना सर्वोपरि काम हो गया है।

महात्माजीने अहिंसाकी विचारधाराके अनुसार स्वराज्य-प्राप्तिके प्रयत्नके साथ-साथ आर्थिक पहलुओं पर भी जोर दिया था और गुलामीकी दशामें भी जो कुछ बन आया सो कुछ मात्रामें कर दियाया। परन्तु स्वतंत्र हो जानेके बाद राजसत्ताधिकारी अपनेको अुस मार्गसे जानेमें असमर्थ पाने लगे।

जगतभरमें, विशेषतः पूर्वी जगतमें जो आर्थिक विषमता हटानेकी पुकार मच रही है अुसकी प्रतिघटनि भारतमें भी गूंजने लगी। समस्याको सुलझानेके लिये हिंसाके मार्गका अनुसरण करना अुपयुक्त और संभव नहीं था, श्रेयस्कर भी नहीं था। क्रांतिकारी कानूनमें भी कुछ हिंसा आ ही जाती है और अुसे लोकमतका आधार रहे बिना वह निभाना भी कठिन है। अितनेमें बीश्वरने पूर्य विनोबाजी द्वारा भूदान-यज्ञका प्रारम्भ करवाया। जिस यज्ञमें जमींदारोंसे जमीन प्राप्त करना और अुसे भूमिहीनोंको देना यह तो अेक स्थूल अर्थात् बाह्य अंग है। मुख्य बात तो धर्मचक्र-प्रवर्तन अर्थात् अर्थसंबंधी नैतिक विचारधाराको देशमें दृढ़मूल करना है, ताकि भारत सदा अपने सारे प्रश्न अहिंसाके मार्गसे ही हल कर सके और सर्वोदयी समाजकी स्थापना हो सके। अब भूदान-यज्ञ काफी प्रगति कर चुका है और अुसका स्वरूप तथा अुसकी विचारधारा समझदारोंके ख्यालमें आ गयी है।

पर बुद्धिमानोंके मनमें यह बेक शंका दीखती है कि क्या जमीनकी सारी समस्या भूदान-यज्ञसे पूर्ण रूपसे सुलझ जायगी? पिछले दो वर्षोंमें जमीनके वारेमें जो हकीकत हुई है अुस ओर ध्यान देते हुओ हमें भूदान-यज्ञसे काफी आशा बंधती है। जिनके पास अधिक जमीन है, वे महसूस करने लगे हैं कि अब अधिक जमीन अुनके पास नहीं रहेंगी। जमीन-बिक्रीका सिलसिला बड़े जोरोंसे चल रहा है और वह अब छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बिक्री होकर अन्हींके हाथोंमें जा रही है, जो खुद अपने परिश्रमसे खेती करेंगे। जो दूसरोंकी जमीन काश्त करते हैं भविष्यमें बननेवाले कानूनके अनुसार अुनसे जमीन वापस नहीं ले सकेंगे, अिस ख्यालसे बड़े पैमाने पर जो बेदखली शुरू हो गयी थी, वह अब अनेक राज्योंमें मुलतबी हो गयी है और बंद भी होनेकी आशा है। प्लानिंग-कमीशनने यह सिद्धान्त मान लिया है कि जमीनके वारेमें सीलिंग मुकर्र बोकर अधिक जमीन किसीके पास न रहें। हैदराबाद राज्यकी विधानसभामें विसं आशयके अेक विवेयक पर विचार हो रहा है। आगे पीछे अन्य प्रदेश, राज्योंको भी जैसा

ही कुछ कदम अठाना होगा। पूज्य विनोबाजी सीरिंगका सिद्धान्त नहीं मानते हैं। अनुका कहना है कि भारतमें 'फ्लोरिंग' चलना चाहिये। जो स्वयं किसानी करके अपनी आजीविका चलाना चाहे और जिसके पास आजीविकाके लिये दूसरा साधन न हो, असे पेट भरने जितनी जमीन मिलनी चाहिये। जमीनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बंटवारेके लायक अभी जो वातावरण बन रहा है, असका कारण बहुतांशमें भूदान-यज्ञ ही मानना अचित होगा। राज्य-सरकारें जिस काममें अपना हाथ प्रायः कानूनके जरिये ही बंटा सकती हैं। वैसे कानून बनानेकी अनुकूल परिस्थितिका निर्माण वेगसे हो रहा है। पर हमें मुख्य बात तो यह करनी है कि अर्थ-संबंधी और धनकी खानगी मालिकीके बारेमें जनताकी विचारधाराको ही बदलना है, ताकि देशमें नैतिक अर्थशास्त्रकी स्थापना हो सके। यह काम भूदान-यज्ञ और संपत्तिदान-यज्ञसे ही हो सकता है।

भूदान-यज्ञका काम पक्षातीत रखा गया है। साम्यवादी दल और अकाध अन्य समुदायको छोड़कर अन्य सब पक्षवाले अस यज्ञका समर्थन कर रहे हैं, यथाशक्ति सहयोग भी दे रहे हैं। अपेक्षा रखी गयी है कि वे जब अस काममें सहयोग देते हैं, तो अपना-अपना पक्ष भूलकर सामान्य सामाजिक कार्यकर्ताके नाते काम करेंगे और अससे अपने पक्ष विशेषका कोओ हित साधन करनेकी कोशिश नहीं करेंगे। वितरणका काम भी असी नीतिसे होगा। वह निष्पक्ष हाथोंमें रखनेका प्रयत्न किया जायेगा और जिनके सुपुर्द किया जायगा, वे निष्पक्ष भावसे ही काम करेंगे।

मैं यह महसूस करता हूँ कि भूमि-वितरणके काममें दो बातोंकी हमें विशेष अड़चन होगी। एक तो दानपत्रके साथ जोड़नेकी खसरा जमावंदीकी नकल प्राप्त करना और दूसरी, अगर खेतका केवल हिस्सा दान दिया हो, तो असे नाप कर अलग टुकड़ा बनाना। यह काम दानदाताको या बोर्डको कर लेना बहुत मुश्किल होगा और असमें समय भी बहुत लगेगा। असलिये वह सरकारी अधिकारी द्वारा ही होना ठीक रहेगा। असके अलावा, जिनको जमीन दी जायगी या बड़े-बड़े चकों पर जौ किसान बसाये जायेंगे, अनुको सरकारकी ओरसे कुछ सुविधायें मिलना जरूरी होगा। जिनके बारेमें यह बोर्ड सोच-विचारकर अपने मंत्रव्य सरकारके सामने यथासमय पेश करेगा। आशा है कि सरकार वे सुविधायें अपलब्ध कर देगी।

### शराबबन्दी रद्द नहीं की जा सकती

मद्रास और बम्बाई राज्यमें संपूर्ण शराबबन्दी चल रही है। ऐसी अपेक्षा थी कि दूसरे राज्य भी जल्दी ही अस नीतिका अनुकरण करेंगे और सारे देशमें संपूर्ण शराबबन्दी हो जायगी। अगर अंग्रेजोंके जाने और केन्द्र तथा राज्योंमें राष्ट्रीय सरकारकी स्थापनाके बाद महात्माजी दो-चार साल और जीवित रहते, तो देशमें ऐसी संपूर्ण शराबबन्दी कभीकी हो गयी होती। सन् १९२० के बादसे, गांधीजीके नेतृत्वमें कांग्रेस जिस बातको लगातार कहती और करती रही, तथा शराबबन्दीके समर्थकों और कांग्रेसके स्वयं-सेवकोंने असके लिये जो कष्ट अठाये, अनुका ख्याल करते हुजे यह जरूरी था कि कांग्रेस अस विषय पर २५ साल तक जो प्रस्ताव पास करती आयी थी अनुका अमल करती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शासनकी बागडोर जिन राजनीतिक नेताओंके हाथमें आयी, अनुहंस सरकारी अधिकारियोंने आयमें कमी पड़नेका डर दिखाया और जिनका अस बातमें स्वर्ण था, अनुके अिशारे पर अक्त नेताओंको शराबबन्दीका कार्यक्रम स्थगित करनेके लिये राजी कर लिया। दुर्भाग्यसे सरकार और कांग्रेसके सर्वेसर्वा पंडित जवाहरलाल नेहरूने भी राज्योंको यही सलाह दी कि वे अस दिशामें धीमी गतिसे बढ़ें।

जिन राज्योंने शराबबन्दी कुछ मर्यादित रूपमें शुरू की थी, अनुकी चाल और धीमी पड़ गयी। असके सिवा, नीतिका अमल सख्तीसे नहीं किया गया, जिससे असमें अनेक दोषोंका प्रवेश हो गया और विरोधियोंको मौका मिल गया। वे अन्हीं दोषोंका हवाला देकर शराबबन्दी खत्म करनेकी मांग करने लगे।

अगर शराबबन्दी रद्द करनेके लिये जो कारण पेश किये जाते हैं, अनुकी जींच ध्यानपूर्वक की जाय, तो वे ज्यादा देर तक टिक सकें, असे नहीं हैं। अगर अन्हीं कारणोंका प्रयोग दूसरे प्रचलित कानूनोंके विषयमें किया जाय, तो बहुत विचित्र परिणाम निकलते हैं। अुदाहरणके लिये, रिश्वतखोरी और चोरीकी बात लें। सब लोग स्वीकार करते हैं कि हमारे यहां अन दिनों रिश्वत-खोरी बढ़ी है। कितने लोगोंको यह दुःखद अनुभव आया है कि जब तक पर्याप्त रिश्वत न दी जाय, तब तक कागज अेक दफ्तरसे दूसरे दफ्तरमें, या असी दफ्तरमें अेक कलर्कसे दूसरे कलर्कके पास नहीं जाते। तो क्या रिश्वतखोरीके खिलाफ हमारे कानूनमें जो धारायें हैं अनुहंस रद्द कर देना चाहिये? छोटी और बड़ी चोरियां भी आज बढ़ती जा रही हैं, तो क्या अन धाराओंको मंसूख कर देना चाहिये, जो चोरीके लिये सजाका विधान करती हैं।

अभी कुछ दिन हुओ, आनंद्रमें शराबबन्दीके सवाल पर बड़ी चर्चा होती रही। औसा कहा गया कि आंध्र राज्य अपना खर्च नहीं अठा सकेगा। असकी आय खर्चसे कम होगी। अस घाटकी पूर्ति कैसे की जाय, असकी खोज शुरू हुई। लोगोंकी नजर शराबबन्दी पर गयी। अनुहंस लगा कि शराबबन्दी रद्द कर दी जाय, तो घाटकी पूर्ति आसानीसे हो सकती है। अखबारोंमें और मंच पर अस विषय पर काफी लिखा और कहा गया। अससे करीब ५ करोड़ रुपयेकी आयका अनुमान लगाया गया; बहुत लोगोंको लगा कि अससे खर्च भी पूरा किया जा सकेगा और जन-कल्याणकी नअी-नअी योजनायें भी जारी की जा सकेंगी। अनुहंस यह याद नहीं रहा कि हमारे दलित और विपन्न देशवासियोंके लिये शराबबन्दी खुद जन-कल्याणकी अेक अत्तम योजना है। वे यह भी भूल गये कि सन् १९३७ में मद्रासमें पहले कांग्रेसी मन्त्रिमंडलने शराबसे होनेवाली आयकी हानिकी पूर्तिके लिये बिक्री-कर शुरू किया था, और अस बिक्री-करसे होनेवाली आय प्रतिवर्ष बढ़ती चली गयी है।

संविधानमें शराबबन्दीके विषयमें जो कुछ कहा गया है, असका ठीक तौर पर अध्ययन किया जाय, तो तटस्थ व्यक्ति अस नीतिजे पर पहुँचे बिना नहीं रह सकता कि जहां शराबबन्दी चल रही है, वहां असे रद्द करनेकी कोशिश करनेका किसी सरकारको अधिकार नहीं है। लेकिन यह तो कानूनज्ञों और न्यायाधीशोंके विचारकी बात है। जहां तक रचनात्मक कार्यकर्ताओंकी बात है, देशके और खासकर आंध्रके सारे रचनात्मक कार्यकर्ता शराबबन्दी रद्द करनेके विषद्ध हैं।

महात्माजीका स्मरण हमें बुद्धि और साहस दे कि हम अपने दुखी भाइयोंके अद्वारके लिये शराबबन्दीकी अस लड़ाभीको जारी रखें और सफल करें।

(अंग्रेजीसे)

स्वामी सीताराम

### शराबबन्दी क्यों?

भारतन् कुमारप्पा

कीमत ०-१०-०

डाकखात ०-४-०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अद्वाराधारा - ९

# हरिजनसेवक

१० अक्टूबर

१९५३

## बेकारी

अभी कुछ दिनोंसे जिस विषयकी बहुत चर्चा हो रही है। यों यह समस्या नयी नहीं है। जिस समस्याके हलके रूपमें कांग्रेसने देशी अत्यादन या स्वदेशीकी बात जिस सदीके शुरूमें ही लोगोंके सामने रखी थी। लेकिन असका रूप ठीक क्या हो, जिसका स्पष्टीकरण तो गांधीजीकी प्रतिभाने ही किया। गांधीजीने ही पहली बार यह साफ समझा कि पश्चिमी ढंगका अद्योगीकरण हमारे लिये बिलकुल निकम्मा सिद्ध होगा। अनुहोने बेकारीकी जिस समस्याको देश-व्यापी प्रमाण पर मुलझाना शुरू किया, और असके लिये जो कुछ करना आवश्यक था, असके प्रतीकके रूपमें सारे देशमें हाथ-काताबी और हाथ-बुनाबीका संघटन किया। गांधीजीने समझ लिया था कि अगर गांवोंके आर्थिक जीवनका पुनरुद्धार नहीं किया जाता, और ग्रामोद्योगोंको राष्ट्रके जीवनमें फिरसे अनुका केन्द्रीय स्थान नहीं दिया जाता, तो भारतका नाश अनिवार्य हो जायगा।

अनुका यह विचार क्रान्तिकारी था और आज भी है। दुनियाभरमें सब जगह लोगोंका यह ख्याल है कि अैसे हरअेक देशके लिये, जो गरीबी और बेकारी मिटाना चाहता है, अद्योगीकरणकी जरूरत है। गांधीजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जिस ग़लत मान्यताका विरोध किया, अद्योगीकरणके खिलाफ हमें चेतावनी दी, और हमारा ध्यान तथा प्रयत्न ग्रामोद्योगोंकी दिशामें मोड़ा।

अनुहोने अैसा क्यों किया? जिसलिये नहीं कि वे हमें हमेशा गरीब रखना चाहते थे, न जिसलिये कि अनुहोने कोअी नवी चीज पसन्द नहीं आती थी और न जिसलिये कि अनुकी प्रकृति संन्यासीकी थी। अनुके खिलाफ जिस तरहकी अूपरी ईकाइयें अनु लोगोंने की हैं, जिन्हें या तो अनुके विचार नापसन्द थे या जिन्होंने अनुका अध्ययन ही नहीं किया था। अगर गांधीजी अद्योगीकरणके खिलाफ थे, तो असका कारण यही था कि अनुहोने देख लिया था कि यद्यपि अद्योगीकरणके जरिये कुछ देशोंने अवश्य असामान्य समृद्धि हासिल की है, किन्तु वह हमारे लिये अपयोगी नहीं होगा; क्योंकि हमारे जैसे देशमें, जहाँ काम करनेके लिये मनुष्योंकी अतिरिक्त अधिकता है, और जहाँ अद्योगोंको जहाँ तक बने खेतीके साथ-साथ, जब खेतोंमें काम नहीं होता, तब करना पड़ता है, अद्योगीकरण अनुकूल नहीं हो सकता। जिसके सिवा, अद्योगीकरणसे अेक और तो पूँजी-पतिवं हाथोंमें सत्ताका खतरनाक केन्द्रीकरण होता है, जिससे मजदूर आजादी और आनन्द खोकर गुलाम बनता है; और दूसरी और विभिन्न देशोंके बीच कच्चे माल और बाजारोंकी प्राप्तिके लिये होइ पैदा होती है, जिससे आन्तरराष्ट्रीय अशान्ति और युद्धको अूतेजन मिलता है। अद्योगीकरणके खिलाफ ये बहुत सबल आक्षेप हैं, और अभी तक किसीने भी अनुका संतोषजनक अूतर नहीं दिया है। अब तो हमारे देशमें, स्वास्करं गांधीजीकी मृत्युके बाद, लोकमत भी जिस विचार पर आरूढ़ होता जा रहा है कि अगर हम अपने लोगोंको पूरा काम देना चाहते हैं, तो हमें ग्रामोद्योगों और गृह-अद्योगोंपर जितना बने अुतना अधिक ध्यान देना चाहिये और वडे पैमाने पर होनेवाले कारखानोंके अत्यादनसे बचना चाहिये। अलवत्ता जहाँ वह अनिवार्य हो, वहाँ असका प्रयोग किया जा सकता है।

लेकिन जहाँ अेक तरफ यह प्रवृत्ति बढ़ रही है, वहाँ असके खिलाफ यह देखकर आश्चर्य हुआ—कि कांग्रेस सरकारमें—जिससे हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर गांधीजीके नेतृत्वका अनुगमन करनेकी अमीद करते हैं—व्यवसाय और अद्योगके मंत्री श्री टी०टी० कृष्णमाचारीने कुछ दिन पहले अेक वाद-विवादके दौरानमें, कॉर्सिल आँफ स्टेट्समें, अखबारोंमें आयी रिपोर्टके अनुसार, यह मंत्रव्य प्रगट किया कि अनुका यह निश्चय बढ़ता जा रहा है कि सिफ अद्योगीकरणसे ही शहरी और ग्रामीण बेकारीका सवाल हल हो सकता है। जिस अकाटच हकीकतका ख्याल करते हुओ कि यंत्रोंके अपयोगमें मजदूरोंकी कमी अवश्य होती है, और यदि अद्योगीकरण हम अितने बड़े प्रमाण पर करना चाहें कि असमें हमारे सब लोगोंको पूरा काम मिले, तो जिसके लिये दुनियाकी तस्तम्बन्धी कच्ची अपज और बाजारों पर हमारा पर्याप्त नियंत्रण होना चाहिये, और अैसा नियंत्रण बेज़ोड़ सैनिक ताकत, साम्राज्यवाद और युद्धके बिना नहीं हो सकता—जिस हकीकतका ख्याल करते हुओ अक्तु मंत्री महोदयका यह मंत्रव्य सचमुच बहुत अजीब मालूम होता है।

अैसी हालतमें, व्यवसाय और अद्योग-मंत्रीकी जिस घोषणाके बावजूद अगर गांधीजीके बताये हुओंके अनुसार हमारी यही राय है कि अद्योगीकरण हमारी बेकारीका हल नहीं है, तो फिर यह सबल अठता है कि अपनी जनताके लिये पूरा अद्योग पानेका अपाय क्या है। जिस प्रश्नका अूतर सिद्धान्तकी दृष्टिसे यही है कि हमें अत्यादनके अैसे अपुयोंका अवलम्बन करना चाहिये, जो बड़े बड़े यंत्रोंकी बजाय आदमियोंको काम दें। बम्बाई, मद्रास, कलकत्ता जैसे शहरोंकी किसी भी सड़क पर चले जाओये, आपको अैसे कितने ही आदमी बेकार धूमते-फिरते दिखायी देंगे, जिनके पास करनेको कुछ नहीं है। बड़े यंत्र अनुहोने मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अेक तो बड़े यंत्र अनुके बूतेके बाहर हैं, दूसरे अनुमें बहुत कम लोगोंको काम मिल सकता है। अनुके लिये अैसे साधन चाहिये जिनके द्वारा वे छोटे-छोटे समुदायोंमें संघटित होकर सस्ते औजारोंकी मददसे अपयोगी वस्तुओंका निर्माण कर सकें। बुनियादी तौर पर जिसी तरहकी योजनाकी आवश्यकता है। वह हमारे राष्ट्रीय जीवनके सामान्य ढांचेके भी अनुकूल है, क्योंकि हमारी जनता जिने-गिने शहरोंमें केन्द्रित नहीं है, वह असंख्य गांवोंमें फैली हुड़ी है। जरूरत यह मालूम होती है कि हम शहरोंमें और गांवोंमें अत्यादनके अनेक छोटे-छोटे सहकारी पद्धति पर काम करनेवाले मंडल बनायें, जो अधिकांशमें सादे यंत्रोंकी मददसे मनुष्य-शक्तिका ही अपयोग करेंगे। जिसके कारण अक्षमता पैदा होगी और हम बाबा आदमके जमानेमें जा पहुँचेंगे, जैसा डर रखनेका कोअी कारण नहीं है। आधुनिक जिज्ञासा और अंजीनियरिंगका कौशल हमारे पास है जिसका अपयोग अैसी नयी मशीनरीकी खोजमें किया जा सकता है, जो जिस तरहके कामके बोझको हलका कर दे और अुसे गृह-अद्योगोंमें काम करनेवाले कारीगरोंके लिये आनंददायी बना दे।

‘जिन कामोंमें सरकारका भाग कबी तरहकी मदद पहुँचानेका होना चाहिये। अद्याहरणके लिये, वह शुरूमें अनुके लिये आवश्यक पूँजी, तालीम, कच्ची अपज प्राप्त करनेकी सुविधायें, और यंत्र आदि साधन दे सकती हैं। वह अत्यादनकी जिस ग्रामोद्योगी पद्धतियोंके सुधारके लिये शोधकी व्यवस्था करा सकती है। अुसे जिस बातकी साधनी रखनी होगी कि बड़े पैमाने पर अत्यादन करनेवाले भारतीय या विदेशी कारखानेदारोंकी प्रतियोगिताके कारण ये छोटे-छोटे सहकारी अद्योग नष्ट न हो जायें। जूतोंके अद्योगका अद्याहरण लीजिये, जो कि गृह-अद्योगकी तरह किया जा

सकता है। यदि अुंसे गृह-अद्योगकी तरह बड़ानेका निर्णय किया जाय, तो संक्रमण कालमें जब कि अुसके लिये लोगोंको तालीम देकर तैयार किया जा रहा हो और अुसमें सुधारकी कोशिश हो रही हो, बड़े पैमाने पर चलनेवाले जूता-अद्योगको बता देना होगा कि वह अब अमुक अवधि तक ही चलेगा। अिस बीचमें फैक्टरी और हाथके बनाये हुओं मालकी कीमत, फैक्टरीके माल पर लेवी लगाकर और हाथके मालको आर्थिक मदद देकर, समान कर देनी चाहिये। अिसी तरहकी नीति विदेशसे आनेवाली और दूसरी चीजोंके विषयमें भी बरती जा सकती है। अिस नीतिसे केवल अुन चीजोंको मुक्त किया जाय, जो अभी भारतमें नहीं बन सकतीं।

अिसके सिवा, गृह-अद्योग और ग्रामोद्योगोंसे अुनमें काम करनेवालोंको पूरा मेहनताना मिलने लगे, अिसके लिये यह आवश्यक है कि कीमतोंका नियंत्रण किया जाय। आज मध्यम वर्गके शिक्षित लोग बेकारोंकी संख्या बढ़ा रहे हैं, अुसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि अुनकी शिक्षा किताबी होती है और पढ़ने-लिखनेके सिवा अुन्हें कोवी दूसरा काम नहीं आता है। अुसका एक बड़ा कारण यह भी है कि छोटे अद्योगोंसे अुन्हें पर्याप्त आजीविका नहीं मिलती। अगर हम चाहते हैं कि वे गांवोंमें लौटें, तो खेती और ग्रामोद्योगोंको अधिक लाभकारी बनाना होगा। तो जो सरकार शिक्षित लोगोंको वापस गांवोंमें भेजना चाहती है, अुसे कीमतोंका दूढ़ नियंत्रण अवश्य करना चाहिये, ताकि अुन्हें ग्रामोद्योगोंसे आजीविका मिलने लगे। यह बहुत अजीब मालूम होता है कि जिस देशमें शिक्षितोंकी संख्या अितनी कम है, वहां अुनमें अितनी बेकारी हो। अुसका अेकमात्र कारण यही है कि ब्रिटेन या अमेरिकाकी तरह यहां शिक्षितोंको असें-स्वतंत्र अद्योग, जिनसे वे अपनी जीविका अुपार्जित कर सकें, प्राप्त ही नहीं होते। अगर अुन्हें असे अद्योग मिलते होते, तो निश्चय ही वे सरकारमें या व्यापारी पेड़ियोंमें नौकरियां नहीं ढूँढ़ते फिरते।

सरकार खुद काफी बड़ी खरीदार है। अगर वह जहां तक संभव हो ग्रामोद्योगों और गृह-अद्योगोंके ही मालका अपयोग करनेकी नीति अस्तियार करे, तो यह भी अुन्हें मदद पहुँचाने और प्रोत्साहन देनेका एक बड़ा तरीका हो सकता है।

बड़ी बात तो यह है कि सरकारका संचालन असें लोगोंके हाथमें होना चाहिये, जिन्हें ग्रामोद्योगों और गृह-अद्योगोंमें पूरा विश्वास हो। अुसे राष्ट्रका सारा आर्थिक जीवन ग्रामोद्योगों और गृह-अद्योगोंकी बुनियाद पर खड़ा करनेकी कोशिश करनी चाहिये। यह नदी आर्थिक व्यवस्था जब तक मजबूतीसे जम न जाय, तब तकके लिये हो सकता है कि अुसे अिसकी रक्षाके लिये 'लौह-दीवार' खड़ी करनेकी जरूरत पड़े और अगर असी जरूरत जान पड़े, तो अुसे अुसमें भी हिचकना नहीं चाहिये। जब तक वह अिस तरहके कांतिकारी कदम नहीं अठाती, तब तक अपने लोगोंके लिये पूरा काम-धन्धा मुहैया कर सकनेकी आशा बहुत ही कम समझना चाहिये।

(अंग्रेजीसे)

भारतन् कुमारपा

### भावी भारतकी अेक तसवीर

किशोरलाल भश्वराला

कीमत १-०-०

डाकखंच ०-४-०

भूदान-यज्ञ

विनोदा भावे

कीमत १-४-०

डाकखंच ०-६-०

नवजीवन प्रकाशन मन्त्र, अहमदाबाद-९

### बापू और जमीनकी समस्या

जमीनकी समस्या शायद हमारे देशके सामने खड़ी आजकी सबसे बड़ी और सबसे वेचीदा समस्या है। बापू अिसके प्रति बड़े जाग्रत थे और जब कभी भौका आया अुन्होंने अिस समस्या पर अपने विचार प्रकट किये।

६ फरवरी, १९३० के 'यंग अिडिया' में लिखते हुओं अुन्होंने कहा था:

"अहिंसाके रास्तेमें सबसे बड़ी रुकावट हमारे बीच अुन देशी हितोंकी भौजूदगी है, जो ब्रिटिश हुकूमतके कारण पैदा हुओ हैं। ये हित हैं देशके धनी लोगों, सद्बाजों, जमीदारों, कारखानेदारों और जैसे ही दूसरे लोगोंके। ये सब लोग हमेशा अिस बातको महसूस नहीं करते कि वे आम-जनताका खून चूस कर जी रहे हैं; और जब वे यह महसूस करते हैं, तब अपने ब्रिटिश मालिकों जैसे ही कठोर और निर्दय हो जाते हैं, जिनके हाथके खिलौने और दलाल वे सब हैं। . . . अुनके लोग यह समझना कठिन नहीं होना चाहिये कि हमारे लाखों-करोड़ों देशबंधु भूखों मर रहे हैं तब लाखों-करोड़ों रुपये जमा करना महापाप है; और अिसलिये अुन्हें अपनी यह दलाली छोड़ देनी चाहिये। कोवी भी मालिक आज तक अपने वफादार अेजेन्टोंकी मददके बिना सफलतासे काम करते नहीं देखा गया है।"

अिसके बाद आया दांडी-कूच, नमक-नस्त्याग्रह, गांधी-अविन करर और फिर आधी कराची-कांग्रेस, जिसमें बुनियादी अधिकारोंका प्रस्ताव पास हुआ। अिन सबने जमीदारोंकी युगों पुरानी शांतिको भंग कर दिया, जिनके प्रतिनिधि गांधीजीसे मिले और अपनी चिन्तायें गांधीजीके सामने रखीं। अुन्होंने यह कहते हुओं जमीदारोंका डर दूर कर दिया :

"मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिना सही कारणके मैं सम्पन्न वर्गोंकी खानगी मिलियत छीननेमें हिस्सा नहीं लूँगा। मेरा ध्येय आपके पास पहुँच कर आपका हृदय-परिवर्तन करनेका है, ताकि आप अपनी सारी खानगी मिलियत अपने काश्तकारोंके ट्रस्टियोंके नाते अपने पास रखें और मुख्यतः अुन्हींके कल्याणमें अुसका अपयोग करें। . . ." ('सिलेक्शन्स फॉम गांधी', पृष्ठ ८८)

लेकिन साथ ही गांधीजीने अुन्हें एक चेतावनी भी दी:

"मैं आपसे कहूँगा कि आपकी जमीन पर जितना अधिकार आपका है, अुन्हां ही आपकी रैयतका भी है। आप अपना पैसा अैश-आराम या तड़क-भड़कका जीवन बितानेमें नहीं अड़ा सकते; वह पैसा आपको अपनी रैयतके भलेके लिये खर्च करना चाहिये। अेक बार अगर आपने अपनी रैयतको आपके साथ पारिवारिक संबंध अनुभव करने दिया और यह विश्वास दिला दिया कि परिवारके सदस्योंके नाते अुनके हितोंको आपके हाथों कभी नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो आप निश्चित मानिये कि अुनके और आपके बीच न तो कोवी संघर्ष होगा और न वर्ग-विश्रहकी नीबत आयेगी।" (बड़ा टाबिप हमारा है) ('सिलेक्शन्स फॉम गांधी', पृष्ठ ८९)

बापूके शब्दोंमें एक आदर्श जमीदार गांवोंके गलत नामसे पुकारे जानेवाले भारतके गोबरके ढेरोंको आसानीसे 'शांति, स्वास्थ्य और सुखके धार्मों' में बदल सकता है, बशर्ते:

"वह अपनी रैयतके घनिष्ठ संपर्कमें आवे, अुनकी जरूरतोंको जाने और अुन्हें निर्जीव बनानेवाली निराशाके बदले अुनमें आशाका संचार करे। वह खुद गरीब बन जायगा, ताकि अुसकी रैयतके जीवनकी जरूरतें पूरी हो सकें। वह

अपनी देखभालमें रहनेवाली रैयतकी आर्थिक स्थितिका अध्ययन करेगा, अनुन्हें शिक्षा देनेके लिये स्कूल खोलेगा, जिनमें वह रैयतके बच्चोंके साथ ही अपने बच्चोंको भी शिक्षा दिलायेगा। वह गांवके तालाब और कुओंको शुद्ध करेगा। वह खुद सड़कें और पासाने साफ करके, रैयतको अपनी सड़कें और पासाने साफ करना सिखायेगा।” (यंग बिडिया, ५-१२-'२९)

विस तरह वे चाहते थे कि जमींदार किसानोंको अपने परिवारके सदस्य मानें। जमीनकी मालिकीके बारेमें बापूके विचार बिलकुल स्पष्ट थे। मगी १९३९ में वृन्दावन (विहार) नामक स्थान पर अेक सार्वजनिक सभामें बिंकट्टे हुओ किसानोंसे अनुहोने कहा था:

“मैं मानता हूं कि जो जमीन तुम जोतते हो अुस पर तुम्हारा अधिकार होना चाहिये। लेकिन वह अेकदम तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम अुसे जमींदारोंसे जबरन् नहीं ले सकते। विसका अेकमात्र रास्ता अहंसा है, अपनी शक्तिको पहचानना है।” (मोटे टाइप हमारे हैं) (हरिजन, २०-५-'३९)

अेक दूसरे स्थान पर अनुहोने कहा है:

“सच्चा समाजवाद हमें अपने पुरखोंसे विरासतमें मिला है, जिन्होंने हमें सिखाया है — सब भूमि गोपालकी। फिर सीमारेखा कहां है? आदमी ही अुस रेखाका बनानेवाला है, अिसलिये वह अुसे मिटा भी सकता है। गोपालका शाब्दिक अर्थ है गायें पालनेवाला; अुसका अर्थ गीश्वर भी है। आजकी भाषामें अुसका अर्थ है राज्य यानीं जनता। विस बातको सिद्ध कर दिखानेकी जरूरत नहीं कि आज जमीन जनताके अधिकारमें नहीं है।” (हरिजन, २-१-'३७)

अब जनता — लोग — फिरसे जमीनके मालिक कैसे बनें? बापूको पक्का विश्वास था कि वे फिरसे जमीनके मालिक बनेंगे:

“विस बारेमें मुझे कोई शक नहीं कि हम विस समस्याका वैसा ही अच्छा हल खोज सकते हैं, जैसा कि दूसरा कोई राष्ट्र खोज सकता है, अिसमें रूस भी शामिल है। और जैसा हम विना हिंसाके कर सकते हैं।... जमीन और सारी जायदाद अुसकी है, जो अुस पर काम करे।” (मोटे टाइप हमारे हैं) (हरिजन २-१-'३७)

विस हलकी अेक झलक हमें आगाखान महलमें हुओं बापू और मीराबहनकी बातचीतसे मिल सकती है। मीराबहनने अेक दिन बापूसे पूछा: “स्वराज्यके बाद जमीनका बंटवारा कैसे किया जायगा?”

बापूने जवाब दिया: “जमीन पर राज्यका अधिकार होगा। मैं मानता हूं कि स्वराज्यमें शासन अैसे लोगोंके हाथमें होगा, जो विस बादर्में श्रद्धा रखते हैं। अधिकतर जमींदार स्वेच्छासे अपनी जमीनें छोड़ देंगे। जो अैसा नहीं करेंगे, अनुन्हें कानूनके मातहत अैसा करना पड़ेगा।” (मोटे टाइप हमारे हैं) (हरिजन, २९-१२-'५१)

थोड़ेमें, अूपरके अुद्धरणोंसे यह स्पष्ट मालूम होता है कि बापू तीन सिद्धान्तोंके आधार पर भारतकी भूमि-समस्या हल करना चाहते थे:

१. ‘सबै भूमि गोपालकी’;
२. जमीन और सारी जायदाद अुसकी है, जो अुस पर काम करे;
३. जमींदार स्वेच्छासे अपनी जमीनें छोड़ देंगे। अहंसक कार्यकर्त्ताका ध्येय हमेशा जमींदारोंका हृदय-परिवर्तन करनेका होना चाहिये।

बड़े आश्चर्य और आनन्दकी बात है कि आचार्य विनोबा के भूदान-यज्ञ आनन्दोलनके ये ही तीन वुनियादी सिद्धान्त हैं। शायद विसीलिये विनोबा कहते हैं कि भूदान-यज्ञ बापूका ही काम है, और वे जीवनभर बापूका ही काम करते रहे हैं। आगामी गांधी-जयत्तीके दिन हम रचनात्मक कार्यकर्ता अपने दिलोंको टटोलें और अपने आपसे पूछें: “हमें बापूका नाम प्यारा है या काम? अगर हमें अुनका काम प्यारा है, तो भूदान-यज्ञके लिये हम क्या कर रहे हैं?”

अिलाहाबाद, २१-९-'५३  
(अंग्रेजीसे)

सुरेश रामभाऊ

### गांधी, कीन्स और चरखा

पश्चिमके लोग गांधीको यंत्र-विज्ञानकी प्रगतिका शत्रु समझते रहे हैं, गोया कोई पुरानी चालका रमता जोगी हाथमें चरखा लिये घूमता-घूमता २०वीं सदीमें निकल आया हो।

अुनके मन पर पड़ी हुओं गांधीकी यह छाप कितनी सही है? गांधीने कभी अर्थशास्त्री होनेका दावा नहीं किया। आर्थिक सवालोंके प्रति अुनका दृष्टिकोण अुनके दर्शनकी पृष्ठभूमिके प्रसंगमें ही समझा जा सकता है।

अुनके भतानुसार विदेशोंके साथ व्यापार, औद्योगिक सम्बन्ध, व्यापारी पेड़ियोंके परिमाण और अुनके स्थान, या किसी भी आर्थिक कार्यके निर्णयकी ओक ही कसीटी थी: वह हिंसाकी संभावनाको बढ़ाता है या कम करता है? सम्यताकी मापका अुनका यही मापदण्ड था।

विस वृत्तिका अेक अुदाहरण लीजिये; सन् १९५० में अखिल भारत कांग्रेस कमेटीने ‘हमारा तांत्कालिक कार्यक्रम’ नामकी अेक पुस्तिका प्रकाशित की थी। विस कार्यक्रमका, जो कि अुसने अपनी सिफारिशके साथ योजना-कमीशनको सौंपा था, अेक मुख्य अुद्देश्य ‘मानव व्यक्तित्वका सर्वांगी विकास’ बताया गया था।

किसी आर्थिक कार्यक्रममें, जिसके अुद्देश्योंमें पूंजीके निर्माण और खादके लिये मूत पशुओंके अुपयोग आदि विषयोंकी चर्चा हो, मानव-व्यक्तित्वके सर्वांगी विकासकी बात भी कही जाय — तो पश्चिमके लोगोंको यह चौंज बड़ी अटपटी मालूम होगी।

विस तरह गांधी व्यावहारिक राजनीतिज्ञ भी थे और आदर्शवादी व्यक्ति भी थे। अनुहोने खुद कहा है कि “मैं कोई स्वप्नसेवी पागल नहीं हूं, व्यावहारिक आदर्शवादी हूं।”

२

मेरा ख्याल है कि गांधीके विषयमें पश्चिमके लोगोंकी अुक्त धारणाका आधार अुनका प्रारम्भिक जीवन है, जबकि गांधी आधुनिक सम्यताकी सारी चीजोंकी निन्दा करते थे।

बादमें गांधीने प्रचलित सम्यताके लाभोंके खिलाफ अपने विरोधमें कुछ संशोधन कर लिया था। तब भी यह सवाल रह जाता है कि क्या चरखेके विषयमें अुनके अुत्साहमें, बड़े अुद्योगोंके विरोधमें और भारतीय किसानों तथा भारतीय गांवोंकी ही अपना मुख्य लक्ष्य बनाये रखनेमें, वस्तुस्थितिके दर्शनकी कमी प्रगट होती है।

विस प्रश्नका अुत्तर देनेके पहले गांधीकी जीवन-दृष्टि और भारतीय परिस्थितियोंसे सम्बद्ध दो मान्यतायें हमें स्वीकार कर लेनी चाहिये।

पहली मान्यता यह है कि आर्थिक प्रवृत्तिका अंतिम अुद्देश्य असी परिस्थितियोंका निर्माण करना है, जो मनुष्यकी आचार्यात्मिक अुच्चति, अुसकी स्वतंत्रता, व्यक्तित्वके विकास और कर्तव्य-बोधमें ज्यादासे ज्यादा अनुकूल हों।

दूसरी मान्यता यह है कि आलस्य और बेकारीकी अथवा आर्थिक स्वाधीनताके सम्पूर्ण अभावकी स्थितिमें जिन अद्वेशयोंकी सिद्धि नहीं हो सकती।

जिन मान्यताओंसे यह निष्कर्ष निकलता है कि सारी आर्थिक समस्याओंमें बेकारी सबसे ज्यादा गम्भीर सबाल है और ऐसा मालूम होता है कि गांधीने असु बुरायीको दूर करनेका संकल्प कर लिया था।

## ३

आगे बढ़े हुओ अद्योग-प्रधान देशोंमें ज्यादा सुधरे हुओ यंत्रों और बेहतर संधटनसे आय बढ़ती है, कीमतें कम होती हैं और सप्ताहमें कामके दिन घटते हैं।

यंत्रोंमें हुओ अनुभितिसे जो अस्थायी बेकारी अत्पन्न होती है, असे लोगोंको दूसरे धंधोंमें जानेके लिये प्रोत्साहन और आवश्यक तालीम देकर दूर कर दिया जाता है।

असलिये स्व० लार्ड कीन्स और 'सब लोगोंको पूरा काम-धन्धा' देनेकी अर्थनीतिके अनुके अनुयायियोंने अपना ध्यान असंबद्ध राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थासे होनेवाली बेकारी पर ही केन्द्रित किया।

ऐसा माना जाता था कि वह राष्ट्रीयी आय और खर्चके वितरणमें संतुलनके अभावसे पैदा होती है, क्योंकि असे मांगमें कमी आती है और बचतमें बढ़ती होती है। असलिये परिस्थितिके सुधारके लिये खर्च बढ़ाना चाहिये, व्यर्थ पड़ी हुओ बचतको खींचकर व्यवसायोंमें नियोजित करना चाहिये और 'बेकार' पड़ी हुओ मशीनोंका अपयोग करना चाहिये।

कीन्सके नये अर्थशास्त्रका सम्बन्ध मुख्यतः अतिरिक्त ज्ञान और सरकार तथा अद्योगों द्वारा बचतका अत्पादक कामोंमें अपयोग करनेकी अपर्याप्त मांगसे ही था।

किन्तु हिन्दुस्तानकी बेकारीमें पश्चिमी ढंगके असलिये असंतुलनका बहुत कम हाथ है। असकी बेकारी अेक अलग किसकी है।

## ४

भारतकी ३६ करोड़ आबादीमें प्रति ५ आदमियोंमें से ४ की जीविकाका आधार खेती पर है। औद्योगिक मजदूरोंको अेक बहुत छोटा हिस्सा बड़े पैमाने पर चलनेवाले अद्योगोंमें काम करता है।

खेतीका काम मौसम पर ही होता है, यानी, फसलकी कटनीके बाद वर्षा आने तक प्रतिवर्ष करीब ४-५ महीने खेतों और जंगलोंमें करीब १२ करोड़ मजदूर निरुद्यम बैठे रहते हैं।

कीन्सके शब्दोंमें असलिये मजदूरोंको 'विवश बेकार' (involuntary unemployed) कह सकते हैं।

भारतकी यह मौसमके अनुसार चलनेवाली 'विवश बेकारी' कितनी बड़ी है, पश्चिमके लोग असकी ठीक कल्पना भी नहीं कर सकते। संख्याकी दृष्टिसे देखें, तो ब्रिटेनमें खेतों, कार्यालयों या फेक्टरियोंमें अेक भी स्त्री या पुरुष दो साल तक काम न करे ऐसा माना जाय, तो हमें भारतकी असलिये भयानक आर्थिक समस्याकी विशालताका कुछ अन्दाजा मिलेगा।

असलिये तरह स्थाल कीजिये कि असलिये बेकारीसे भारतकी जनताको कितना शारीरिक और मानसिक त्रास होता होगा।

कीन्सने भारतमें फैली हुओ असलिये विशेष प्रकाशकी बेकारीका विचार तो नहीं किया, लेकिन अर्थशास्त्रीके नाते अनुकी आरंभिक प्रवृत्तियोंसे भारतका काफी सम्बन्ध था।

सिविल सर्विसमें जाने पर अनुकी पहली नियुक्ति अिष्टिया आकिसमें ही हुओ थी। अनुकी पहली प्रकाशित रचनाओंका विषय

भारत ही है। असलिये भारतीय मुद्रा और व्यावसायिक पूंजी' नामकी अेक पुस्तक है, जो १९१३ में प्रकाशित हुओ थी, 'भारतमें हालमें हुओ कुछ आर्थिक घटनायें' नामक अेक लेख है, जो मार्च, १९०९ के 'अिकानामिक जरनल' नामक सामयिकमें निकला था, और १९११ में प्रकाशित 'भारतमें आर्थिक परिवर्तन' नामक पुस्तककी समालोचना है।

असलिये आलोचनाका अेक अंश असलिये प्रकार है, "लेखक अेक पूर्वी देशके बारेमें लिख रहा है, लेकिन असकी आर्थिक कसौटियां परिचयमें हैं। किसी राष्ट्रीयी साधन-सम्पत्तिका अनुम विनियोग और अपयोग जिन परिस्थितियों पर निर्भर होता है, अनुका असे पूरा ज्ञान नहीं है। पुस्तकमें बम्बई और कलकत्ताकी मिलों पर अनुचितसे अधिक ध्यान दिया गया है।"

आगे चलकर वे कहते हैं कि असलिये मिलोंसे भारतकी सुख-समृद्धिमें शायद ही कोओ मदद हो सकती है। असका निर्माण तो भारतकी बुद्धि और पूंजीका अपयोग असके खेतों और गांवों पर करनेसे ही होगा। कहनेकी जरूरत नहीं कि यह बात आज भी अनुनी ही सही है, जितनी सन् १९११ में थी।

## ५

बचतके खिलाफ दो दुष्ट चक्र कार्य करते हैं। मौसममें मिलने वाले खेतीके कामसे आय बहुत थोड़ी होती है, और असे साल-भरका खर्च चलाना पड़ता है, असलिये बचत कुछ नहीं होती। चूंकि बचत नहीं होती असलिये सुधारोंके लिये जो पूंजी चाहिये वह नहीं मिलती और सुधारोंके विना अत्पादन तथा आय बढ़नहीं सकती।

दूसरा दुष्ट चक्र पहलेमें से ही अत्पन्न होता है। वोनेसे लगाकर फसल आने तकके समयका अन्तजाम करनेके लिये किसानोंको ऋण चाहिये।

चूंकि यह आवश्यकता पूरी करने लायक बचत होती ही नहीं है, असलिये ऋणके लिये बहुत अूंचा व्याज चुकाना पड़ता है।

असलिये बचतके अभावमें अूंची व्याज-दर देना पड़ती है, अूंची व्याज-दरके कारण किसानोंकी आय कम होती है, और कम आयके कारण बचतके लिये अवकाश नहीं होता; और फिर बचतकी कमीमें अूंची व्याज-दर देना पड़ती है।

असलिये भारतके अभावमें अूंची व्याज-दर देना पड़ती है, अूंची व्याज-दरके कारण किसानोंकी आय कम होती है, और कम आयके कारण बचतके लिये अवकाश नहीं होता; और फिर बचतकी कमीमें अूंची व्याज-दर देना पड़ती है।

असलिये भारतके अभावमें अूंची व्याज-दर देना पड़ती है, अूंची व्याज-दरके कारण किसानोंकी आय कम होती है, और कम आयके कारण बचतके लिये अवकाश नहीं होता; और फिर बचतकी कमीमें अूंची व्याज-दर देना पड़ती है।

कर्ज जो मुश्किलसे मिलता है और जिसके लिये अनुहें जितना ज्यादा व्याज देना पड़ता है, शहरोंसे आता है।

गांवोंमें पैदा होनेवाली वस्तुओंकी गांववालोंको बहुत कम कीमत मिलती है, और वे सब शहरोंमें बिकती हैं। नयी आपत्तियोंके खिलाफ कीन्सके बताये हुओ रक्षाके अपायों पर अमल किया जाय, असके पहले भारतमें फैली हुओ बेकारीको कम करनेकी जरूरत है।

खर्च बढ़ानेकी कीन्सकी पद्धतिकी खास बात यह है कि वह बेकारीके खिलाफ तभी सफल होती है, जब असकी अपयोग बड़े प्रमाण पर और बेकारी फैलनेके पहले किया जाय।

कीन्स यह मानकर चलते हैं कि मजदूर वर्ग गतिशील है — अेक धन्धा छोड़कर दूसरे धन्धेमें जल्दी लग सकता है और बहुत-सी पूंजी बेकार पड़ी हुओ है। लेकिन भारतकी अवस्था असलिये भिन्न है; वहां पूंजीकी कमी है और असकी बेकार जनता अपनी जगह पर दूँखसे बंधी हुओ है, वहांसे हट नहीं सकती है।

भारतके लिये तो ऐसे अुपायोंकी जरूरत है, जो बेकारोंको काम दें, पूजीकी जरूरत कम करें, गांवोंमें स्वावलम्बनके जरिये जीवने-मान बढ़ायें और हिंसाका खतरा कम करें—जिसे गांधी बहुत महत्व देते थे।

जो माल कम है अुसकी मांगसे हिंसा पैदा होती है। असलिये जिसका अुत्पादन बढ़ाकर मांग पूरी की जा सकती है, अुसे तरजीह देनी चाहिये।

गांधीके अर्थशास्त्रमें कमी (scarcity)को निर्णयिक महत्व प्राप्त है, अुत्पादन पर लगनेवाले खर्च या कार्यक्षमताको नहीं।

अभी हालमें जो परिस्थितियां प्रेकाशमें आयी हैं, अुन्हें देखते हुए बिस नीतिका महत्व प्रगट होता है। ऐसा मालम हुआ है कि आवश्यक वस्तुओंकी तंगी दुनियाके अुत्पादन, व्यापार और सबको पूरा काम देनेके लक्ष्यके लिये खतरा पैदा करनेवाली है।

असलिये परिस्थिति पर काबू पानेके लिये गांधीकी स्थानीय साधन-सम्पत्तिका अुपयोग करनेकी सूचना जरूर सहायक हो सकती है।

गांधीके अनुसार हल चलानेके लिये तेलकी बजाय बैलोंका आश्रय लेना अधिक हितकर है, क्योंकि अगर भारत एक बार बैलोंका आश्रय छोड़ दे, तो तेल न मिलनेकी परिस्थिति अुत्पन्न होने पर अुसे विनाशका ही मुकाबला करना पड़ेगा।

अन्नके अुत्पादनमें कार्य-शक्तिके साधनोंकी तरह जो महत्व बैलों और मनुष्योंका है, वही कपड़ेके अुत्पादनमें चरखेका है।

कपड़ेकी मिलें अपना कपड़ा बेचनेके लिये बाजारों पर और लोहा, विदेशी रसी और सूत आदि ऐसी सामग्री पर निर्भर करती हैं, जिनमें तंगीकी स्थिति आ सकती है।

लेकिन चरखेके लिये लगनेवाली सामग्रीकी अुचित व्यवस्था हो सकती है।

चरखा स्थानिक अुत्पादन करता है और स्थानिक साधनों तथा बाजारों पर, आधार रखता है। असलिये अुसमें धोखा, सट्टा, संघर्ष और हिंसाकी संभावना बहुत कम हो जाती है।

चूंकि मिलोंका कपड़ा खरीदनेमें जो पैसा लगता था वह अब बचेगा, असलिये गांवालोंको कर्जकी युतनी आवश्यकता नहीं रहेगी तथा अुतनी हद तक वे व्याजसे भी मुक्त हो जायंगे।

चरखा बेकारोंके व्यर्थ जानेवाले घटोंका अुपयोग करेगा और अनुकी नीतिकी अवनतिको रोकेगा।

असल तरह चरखा भारतकी ग्रामीण जनताके दुःखोंका सबसे बड़ा निवारक सिद्ध होता है। वह भारतके गांवोंमें बसनेवाली असंख्य जनताको विनाशसे बचानेवाला साधन है।

गांधी जोर देकर कहते थे कि जिसे कोई दूसरा अधिक आमदनीवाला काम मिलता है, वह अुसे छोड़कर चरखा अपनावे, असा भेरा मतलब नहीं है:—

“चरखेके लिये भेरा जितना ही दावा है कि खेतीके साथ कोई अुपयोगी पूरक अुद्योग न होनेके कारण भारतकी जनताके अेक बड़े भागको सालमें लगभग ६ माह मजबूरन बेकार रहना पड़ता है और परिणामस्वरूप भूखोंमें मरना पड़ता है। यह भारतकी सबसे बड़ी समस्या है और चरखा ही अुसका अेकमात्र तात्कालिक, व्यावहारिक और स्थायी हल है।”

असी सिलसिलेमें वे आगे कहते हैं, “अगर ये दो बातें न होतीं तो भारतके राष्ट्रीय जीवनमें चरखेका कोई स्थान न होता।”

\*

\*

\*

चरखेने एक काम और किया। शरीर-श्रमको बौद्धिक श्रम या यंत्र-श्रमसे हलके दर्जेका माना जाता है; जिसके सिवा बेकारी और भुखमरीके स्थायी वातावरणमें लोगोंका जो नैतिक ह्रास होता है, अनुको मनमें जो अुदासीनता धर कर लेती है, अुसके कारण शरीर-श्रमका मूल्य गिर जाता है। अन परिस्थितियोंमें चरखेने शरीर-श्रमकी प्रतिष्ठा जमानेका काम किया, वह शरीर-श्रमका प्रतीक बन गया।

जहां पश्चिमके लोग अुसे औद्योगिक पिछड़ेपन, अक्षम अुत्पादन और यांत्रिक प्रगतिके निदनीय विरोधका प्रतीक मानेंग, वहां गांधीकी नजरमें वह निष्क्रियता पर कार्यकी, निर्जीवता पर जीवनकी, बिखरने और विनष्ट होनेकी प्रक्रिया पर कुटुम्ब-संस्था और ग्राम-समाजकी अेकताकी विजयका चिन्ह था।

चरखा अहिंसाकी विजय सूचित करता है। एक बार जब किसीने गांधीसे कहा, “मुझे अीवरका प्रत्यक्ष दर्शन करायिये”, तो अनुहोने अुत्तर दिया, “तुम्हें वह चरखेमें मिलेगा।”

पश्चिमके विचार भारतकी परिस्थितियोंके अनुकूल बनें, असलिये लिये अुनमें सुधार करनेकी आवश्यकता होगी।

जिस देशमें असंख्य बेकार पड़े हुए हैं, वहां अुद्योगोंमें भजदूरीकी बचत करनेवाले यंत्रोंका बाहरसे आयात करने या देशमें ही बनानेके लिये अपनी दुर्लभ साधन-सामग्री खर्च करनेको क्या सही अर्थनीति कह सकते हैं?

गांधीका अुत्तर था कि ऐसी परिस्थितियोंमें सच्ची अर्थनीति गृह-अुद्योगकी ही हो सकती है। ग्रामवासी गृह-अुद्योग चलायेंगे या स्थानीय कच्चे मालका अुपयोग करके साबुन, आटा, कागज आदि बनायेंगे।

लेकिन अन गृह-अुद्योगोंके बाद भी काफी बेकारी बच रहती है। ऐसे बेकारोंको काममें लगानेके लिये छोटे पैमानेके ग्रामो-द्योग शुरू करने होंगे।

\* \* \*

यह सवाल अुठता है कि यह व्यवस्था गांधीके विचारोंके साथ मेल खाती है या नहीं? गृह-अुद्योगोंके स्वरूप और अुद्देश्यके विषयमें बहुत कुछ भ्रम तो असलिये पैदा होता है कि मशीनके प्रति गांधीके दृष्टिकोणका यथेष्ट विश्लेषण नहीं किया गया है।

गांधी एक समय हर प्रकारके यंत्रके खिलाफ थे। वे अुसे आधुनिक सम्यताकी अेक प्रधान वस्तु और महापाप जैसा मानते थे। लेकिन बादमें अनुको दृष्टिकोणमें काफी परिवर्तन हो गया था।

अनुहोने कहा था, “जो काम करना है, अुसे करनेके लिये जब मनुष्योंकी संख्या कम हो, तब यंत्रीकरण ठीक है। लेकिन कामके लिये जितने चाहिये अुससे ज्यादा आदमी मिलते हों, तब वह अनिष्ट है।”

जब वह बहुतोंको नुकसान पहुंचाकर थोड़ेसे लोगोंको माला-माल करता हो, तब वह खराब है। किन्तु यदि अुसका अुपयोग सारी जनताकी भलाईके लिये हो तो वह अच्छा है।

[५-८-'५३ के ‘अिन्डियन अेक्सप्रेस’ से]

अस० मूस

(अंग्रेजीसे)

विषय-सूची	पृष्ठ
आचार्य कृपलानीसे विनती	२४९
भूदान-यज्ञ क्यों और कैसे?	२५०
शराबबंदी रद्द नहीं की जा सकती	२५१
बेकारी	२५२
बापू और जमीनकी समस्या	२५३
गांधी, कौन्स और चरखा	२५४
अस० मूस	